

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 998/341/आउशि/शा-5'अ'/2020

भोपाल, दिनांक 17/11/2020

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- सत्र 2020-21 के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 910/341/आउशि/शा-5'अ'/2020, दिनांक 28.10.2020

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 02 पर अंकित अनुसार प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त की कण्डिका 2.3.1 एवं 2.3.5 के अनुक्रम में दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 12.12.2020 तक प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त आवेदक संबंधित समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल टी.सी., माईग्रेसन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः ऑनलाइन ई-प्रवेश समय-सारिणी सत्र 2020-21 सी.एल.सी. पंचम चरण के परिप्रेक्ष्य में टी.सी., माईग्रेसन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने की निर्धारित दिनांक 18.11.2020 में वृद्धि करते हुए दिनांक 24.11.2020 से दिनांक 12.12.2020 निर्धारित की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 999/341/आउशि/शा.-5'अ'/2020

भोपाल, दिनांक 17/11/2020

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननपीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
 2. स्टॉफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
 3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
 4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
 7. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी.मॉल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

(आयुक्त, उच्च शिक्षा)
18/11/2020

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004
ई-मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक- 2554763

"website"

क्रमांक- 1997 / 466 / आउशि / सम्बद्धता / 20.
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 17 / 11 / 2020.

कुल सचिव/प्राचार्य,
संबंधित समस्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय,
(हेल्प सेंटर-एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश),
मध्यप्रदेश

विषय:- सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश स्थायी (Confirm) करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक-1913/466/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 28/10/2020।

—00—

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश स्थायी (Confirm) करने हेतु तिथियां निर्धारित की गई हैं।

2. दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश स्थायी (Confirm) करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि:-

- (1) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चरण से लेकर द्वितीय अतिरिक्त चरण तक प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रवेश स्थायी (Confirm) करने की कार्यवाही दिनांक 18/11/2020 से 25/11/2020 तक कर सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) नवीन समय सारणी अनुसार तृतीय अतिरिक्त चरण प्रवेश की कार्यवाही दिनांक 30/11/2020 तक सम्पन्न की जाना है। अतः तृतीय अतिरिक्त चरण में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा प्रवेश स्थायी (Confirm) करने की कार्यवाही दिनांक 01/12/2020 से 05/12/2020 तक सुनिश्चित की जाये।

अपर-आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक- 17 / 11 / 2020.

पृ. क्रमांक- 1998 / 406 / आउशि / सम्बद्धता / 20,
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र.।
 2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
 3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
 5. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 7. प्राचार्य/संचालक, एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
 8. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र.।
 9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल म.प्र. की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

आयुक्त (अतिरिक्त)
उच्च शिक्षा-1
18/11/2020